रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2016/आषाढ़ 28,1938
No. 499] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2016/ASADHA 28, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

सा.का.नि.707(अ).- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, एतद्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. (1) इन विनियमों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा ।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (आचरण) विनियम, 2003 में-(क) विनियम 3 के उप-विनियम (1) में खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्-

 (iv) संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध रखना और उसकी प्रभुता को बनाए रखना;

 (v) भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता की रक्षा करना और बनाए रखना;

 (vi) उच्च नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखना;

 (vii) राजनैतिक तटस्थता बनाए रखना;

 (viii) कर्तव्यों के निर्वहन में श्रेष्ठता, न्यायसंगति और निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना;

 (ix) जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना;

 (x) जनता, विशेषत: कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति, अपने उत्तरदायित्व को बनाए रखना;

 (xi) जनता के साथ शिष्टाचार और सद्भावना बनाए रखना;

 (xii) जनता के हित में सिर्फ निर्णय लेना और सार्वजनिक संसाधनों का दक्षतापूर्वक, प्रभावपूर्ण और मितव्ययिता के साथ उपयोग करना अथवा कराना;

(xiii) अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबन्धित किसी निजी हितों की घोषणा करना और सार्वजनिक हित में बाधक किसी भी समस्या का समाधान करना जो सार्वजनिक हित की रक्षा करता हो।

(xiv) अपने आप को किसी व्यक्ति अथवा संगठन के प्रति किसी ऐसे वित्तीय अथवा किसी अन्य दायित्व के अधीन न रखना, जिससे उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रभाव पड़ता हो;

(xv) आयोग के कर्मचारी के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग न करना और न ही अपने, अपने परिवार अथवा अपने मित्रों के लिए किसी प्रकार के वित्तीय अथवा भौतिक लाभ पाने हेतु कोई निर्णय लेना;

(xvi) केवल योग्यता के आधार पर विकल्प चुनना, निर्णय लेना और संस्तुति करना;

(xvii) किसी के भी विरुद्ध न्याय और निष्पक्षता से कार्य करना और विशेषकर समाज के गरीब और शोषित वर्गों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न करना;

(xviii) ऐसा कोई भी कृत्य करने से बचना जो किसी भी कानून, नियम, विनियमों तथा स्थापित प्रचलनों के विपरीत हो अथवा हो सकते हों;

(xix) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखना और उसे विधिवत अवगत कराए न्यायसंगत आदेशों के कार्यान्वयन के प्रति उत्तरदायी होना;

(xx) उस समय के लिए प्रवृत्त किसी भी कानून में अपेक्षित अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के कार्यनिष्पादन में गोपनीयता बनाए रखना, विशेष रूप से उस सूचना के संबंध में, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित, अन्य देशों के साथ मैत्री संबंधों को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकता हो, अथवा किसी व्यक्ति को अपराधिक कृत्य अथवा अवैधानिक अथवा गैरकानूनी लाभ के लिए उकसाता हो;

(xxi) व्यावसायिकता के उच्चतम स्तर तथा अपनी उत्कृष्ट क्षमताओं के प्रति समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ।

(ख) (i) विनियम 6 में, उप-विनियम (2) के बाद व्याख्या के लिए, निम्नलिखित व्याख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''व्याख्या - इस विनियम के प्रयोजनार्थ -

(क) ''यौन उत्पीड़न'' में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कृत्य अथवा व्यवहार शामिल होगा, (चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा अर्थ से) अर्थात्:-

(i) शारीरिक संपर्क और उसमें अग्रसरता; अथवा

(ii) लैंगिक सहवास की मांग अथवा अनुरोध; अथवा

(iii) लैंगिक संबंधित टिप्पणियां; अथवा

(iv) किसी अश्लील छवि का प्रदर्शन; अथवा

(v) लैंगिक स्वरूप का कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक आचरण ।

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में भी यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य अथवा आचरण की संलिप्तता यौन उत्पीड़न माना जाएगाः

(i) रोजगार में अधिमान देने हेतु निहित अथवा स्पष्ट वादा करना ; अथवा

(ii) रोजगार में अहितकर बर्ताव हेतु निहित अथवा स्पष्ट धमकी देना; अथवा

(iii) उसके वर्तमान अथवा भावी रोजगार के संबंध में निहित अथवा स्पष्ट धमकी देना ; अथवा

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना अथवा उसके लिए भयपूर्ण अथवा अपमानजनक अथवा शत्रुतापूर्ण कार्य का माहौल उत्पन्न करना; अथवा

(v) अपमानजनक व्यवहार करना, जिससे उसके स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) "कार्यस्थल" में शामिल होगा: -

(i) ऐसा विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई, जिसकी स्थापना, स्वामित्व व नियंत्रण केंद्रीय सरकार अथवा आयोग द्वारा पूर्ण अथवा पर्याप्त तौर पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रदत्त निधि से की गई हो/की जाती हो।

(ii) अस्पताल व नर्सिंग होम

IndiaCode

(iii) खेल-कूद से जुड़ा कोई संस्थान, स्टेडियम, खेल-कूद परिसर, प्रतियोगिता अथवा खेल-कूद का स्थान, चाहे वह आवासीय हो अथवा जिसका उपयोग प्रशिक्षण, खेल-कूद अथवा अन्य संबन्धित गतिविधियों हेतु न किया जाता हो।

(iv) नियोजन के कारण अथवा उसके दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, इसमें इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु नियोक्ता द्वारा प्रदत्त परिवहन सुविधा भी शामिल है;

(v) निवास स्थान अथवा कोई गृह ।

(ग) विनियम 14 के संबंध में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"14.सरकारी/शासकीय सूचना का सम्प्रेषण- प्रत्येक कर्मचारी को निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा तथा किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई जानकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान करनी होगी:

बशर्ते कि कोई भी कर्मचारी, आयोग के सामान्य अथवा विशेष आदेश अथवा किसी कर्मचारी को प्रदत्त निष्पक्ष कार्य को छोडकर, किसी भी उन सरकारी दस्तावेजों अथवा इसके किसी भी भाग अथवा वर्गीकृत सूचना को किसी भी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे, जिस दस्तावेज़ व वर्गीकृत जानकारी को देने हेतु वे प्राधिकृत नहीं हैं"

(घ)विनियम 16 में, - उप नियम (2) में, (क) खंड (i), (ii), (iii) हेतु निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(i) समूह "क" पद के किसी भी कर्मचारी के मामले में पच्चीस हजार रुपये
(ii) समूह "ख" पद के किसी भी कर्मचारी के मामले में पंद्रह हजार रुपये
(iii) समूह "ग" पद के किसी भी कर्मचारी के मामले में सात हजार रुपये

(ख) उप नियम (3) में- खंड (i व ii) हेतु निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(i) समूह "क" या "ख" पद के किसी भी कर्मचारी के मामले मे एक हजार पाँच सौ रुपये
(ii) समूह "ग" या "घ" पद के किसी भी कर्मचारी के मामले में पाँच सौ रुपये

(ङ) विनियम 23 में -

(क) उप-विनियम (3) के एवज में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(3) जहां कोई कर्मचारी स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्य के नाम पर चल संपत्ति हेतु लेन-देन करता है और उस संपत्ति का मूल्य सरकारी अथवा आयोग के कर्मचारी के 'दो माह के मूल वेतन' से अधिक है, कर्मचारी विहित प्राधिकारी को ऐसे लेन-देन संबंधी जानकारी लेन-देन की तिथि से एक माह के भीतर देगा ;

बशर्ते कि, यदि इस प्रकार का कोई लेन-देन कर्मचारी के आधिकारिक व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ किया जाता है, कर्मचारी को विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।"

(ख) स्पष्टीकरण I में, खंड (क) में " दस हजार अथवा आयोग से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों का छठा भाग, जो भी कम हो" शब्द के स्थान पर "कर्मचारी के दो माह का मूल वेतन " शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सी-19011/1/2015-केवीआई-पी]

बी.एच.अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल विनियम भारत सरकार के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434 (अ) दिनांक 26 मई, 2003 के तहत प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF MEDIUM, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2016

G.S.R.707(E).—In exercise of the powers conferred under sub section (1) of section 27 of Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Commission, with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following regulations to amend Khadi and Village Industries Commission Employees (Conduct) Regulations, 2003, namely -

1. (1) These Regulations may be called Khadi and Village Industries Commission Employees (Conduct) Amendment Regulation, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Khadi and Village Industries Commission Employees (Conduct) Regulations, 2003,__ (A) in regulation 3, in sub-regulation (1), after clause (iii), the following clauses shall be inserted, namely:-

(iv) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values;

(v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;

(vi) maintain high ethical standards and honesty;

(vii) maintain political neutrality;

(viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties;

(xi) maintain accountability and transparency;

(x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;

(xi) maintain courtesy and good behavior with the public;

(xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;

(xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;

(xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;

(xv) not misuse his position as employee of the Commission and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;

(xvi) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;

(xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of the society;

(xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;

(xix) maintain discipline in discharge of his duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to him;

(xx) maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the State, strategic, scientific or economic interests of the State, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gain to any person;

(xxi) perform and discharge his duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities.";

(B) in regulation 6, for the explanation occurring after sub-regulation (2), the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation.__ For the purpose of this regulation.__

(a) "sexual harassment" includes any one or more of the following acts or behavior, (whether directly or by implication) namely:-

(i) physical contact and advances; or

(ii) demand or request for sexual favours; or

(iii) sexually coloured remarks; or

(iv) showing any pornography; or

(v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

(b) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment:-

(i) implied or explicit promise of preferential treatment in employment; or

(ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or

(iii) implied or explicit threat of her present or future employment status; or

(iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or

(v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.

(c) "workplace" includes –

(i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government or Commission.

(ii) hospital or nursing homes;

(iii) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto';

(iv) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such training;

(v) a dwelling place or a house.";

(C) for regulation 14, the following regulation shall be substituted, namely:-

"14. Communication of official information.- Every employee shall, in the performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act, 2005(22 of 2005) and the rules made thereunder :

Provided that no employee shall, except in accordance with any general or special order of the Commission or in performance in good faith of duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or classified information to any employee or any other person, to whom he is not authorised to communicate such document or classified information".;

(D) in regulation 16,__ (a) in sub-regulation (2), for clauses (i),(ii),(iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) rupees twenty-five thousand in the case of an employee holding any Group 'A' post ;

(ii) rupees fifteen thousand in the case of an employee holding any Group 'B' post; and

(iii) rupees seven thousand five hundred in the case of an employee holding any Group 'C' post.";

(b) in sub-regulation (3), for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(i) rupees one thousand five hundred in the case of employees holding any Group 'A' or Group B' post ; and

(ii) rupees five hundred in the case of employees holding any Group 'C' or Group 'D' post.";

(E) in regulation 23,-

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) Where an employee enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of the member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction and report the same to the prescribed authority, if the value of such property exceeds 2 months' basic pay of the Government or Commission employee:

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the employee if any such transaction is with a person having official dealings with him.";

(b) in Explanation I, in clause (a), for the words "rupees ten thousand or one-sixth of the total annual emoluments received from Commission, whichever is less", the words "'two months' basic pay of the employee" shall be substituted.

[F. No. C-19011/1/2015-KVI-P]

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 434(E), dated the 26th day of May, 2003.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.